



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 17 अक्टूबर, 1985

आश्विन 25, 1907 शक. सम्बत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1918/सत्रह-वि-1-1(क)-32-1985

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 1985

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 14 अक्टूबर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

संक्षिप्त नाम और
विस्तार

अधिनियम सं० 2
सन् 1985 की
अनुसूची 1-बी का
संशोधन ।

2--भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी में,—

(क) अनुच्छेद 15 (बन्ध-पत्र) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से सम्बन्धित स्तम्भ में, निम्न सारणी के स्तम्भ-1 में दिये गये शब्दों के स्थान पर क्रमशः उनके सामने निम्न सारणी के स्तम्भ-2 में दिये गये शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

| स्तम्भ-1 (वर्तमान शब्द) | स्तम्भ-2 (प्रतिस्थापित किये जाने वाले शब्द) |
|----------------------------|--|
| पचास पैसे | एक रुपया |
| दो रुपये | दो रुपये पचास पैसे |
| चार रुपये पच्चीस पैसे | चार रुपये पचहत्तर पैसे |
| आठ रुपये पचास पैसे | नौ रुपये पचास पैसे |
| बारह रुपये पचहत्तर पैसे | चौदह रुपये पच्चीस पैसे |
| सत्रह रुपये | उन्नीस रुपये |
| इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे | तेइस रुपये पचहत्तर पैसे |
| पच्चीस रुपये पचास पैसे | अट्ठाइस रुपये पचास पैसे |
| उन्तीस रुपये पचहत्तर पैसे | तैंतिस रुपये पच्चीस पैसे |
| चौतीस रुपये | अड़त्तिस रुपये |
| अड़त्तिस रुपये पच्चीस पैसे | बयालिस रुपये पचहत्तर पैसे |
| बयालिस रुपये पचास पैसे | सीतालिस रुपये पचास पैसे |
| इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे | तेइस रुपये पचहत्तर पैसे |

(ख) अनुच्छेद 23 (हस्तान्तरण-पत्र) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, निम्न सारणी के स्तम्भ-1 में दिये गये अंकों के स्थान पर, क्रमशः उनके सामने निम्न सारणी के स्तम्भ-2 में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

| स्तम्भ-1 (वर्तमान अंक) | स्तम्भ-2 (प्रतिस्थापित किये जाने वाले अंक) |
|---------------------------|---|
| ₹ 0 पै० | ₹ 0 पै० |
| 4.00 | 4.75 |
| 8.50 | 9.50 |
| 17.00 | 19.00 |
| 25.50 | 28.50 |
| 34.00 | 38.00 |
| 42.50 | 47.50 |
| 51.00 | 57.00 |
| 59.50 | 66.50 |
| 68.00 | 76.00 |
| 76.50 | 85.50 |
| 85.00 | 95.00 |
| 42.50 | 47.50 |

आज्ञा से,
बी० एल० लून्वा,
सचिव ।

No. 1918 (2) /XVII-V-1--1 (KA) 32-1985

Dated Lucknow, October 17, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 14, 1985.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1985

(U. P. Act No. 32 of 1985)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India, as follows :

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1985.

Short title and extent

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

2. In Schedule I-B to the Indian Stamp Act, 1899—

Amendment of Schedule I-B to Act no. II of 1899.

(a) in Article 15 (Bond), in the column relating to the "Proper Stamp Duty", for the words set out in column 1 of the table below, the words set out respectively against them in column 2 of the table below, shall be substituted, namely :

| COLUMN 1 (Existing words) | COLUMN 2 (Words to be substituted) |
|--|---|
| Fifty paise | One rupee |
| Two rupees | Two rupees and fifty paise |
| Four rupees and twenty-five paise | Four rupees and seventy five paise |
| Eight rupees and fifty paise | Nine rupees and fifty paise |
| Twelve rupees and seventy-five paise | Fourteen rupees and twenty five paise. |
| Seventeen rupees | Nineteen rupees |
| Twenty-one rupees and twenty-five paise | Twenty-three rupees and seventy five paise. |
| Twenty-five rupees and fifty paise | Twenty-eight rupees and fifty paise |
| Twenty-nine rupees and seventy-five paise | Thirty-three rupees and twenty five paise |
| Thirty-four rupees | Thirty eight rupees |
| Thirty-eight rupees and twenty-five paise. | Forty-two rupees and seventy-five paise. |
| Forty-two rupees and fifty paise | Forty-seven rupees and fifty paise |
| Twenty-one rupees and twenty-five paise. | Twenty-three rupees and seventy-five paise. |

(b) in Article 23 (Conveyance), in the column relating to "Proper Stamp Duty", for the figures set out in column 1 of the table below, the figures set out respectively against them in column 2 of the table below, shall be substituted, namely :—

| COLUMN 1 (Existing figures) | COLUMN 2 (Figures to be substituted) |
|--------------------------------|---|
| Rs. P. | Rs. P. |
| 4.00 | 4.75 |
| 8.50 | 9.50 |
| 17.00 | 19.00 |
| 25.50 | 28.50 |
| 34.00 | 38.00 |
| 42.50 | 47.50 |
| 51.00 | 57.00 |
| 59.50 | 66.50 |
| 68.00 | 76.00 |
| 76.50 | 85.50 |
| 85.00 | 95.00 |
| 42.50 | 47.50 |

By order,

B. L. LOOMBA,
Sachiv.